सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या- 177 /62-3-2011

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   परिमण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता,
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   प्रखण्ड, उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक 18 जनवरी, 2011

विषयः- **डा0 अम्बेडकर ग्रामों में जल निकासी हेतु आउट फाल ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं इस अनुभाग के स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। पूर्व में यह निर्देश दिये गये थे कि डा0 अम्बेडकर ग्रामों में जल निकासी हेतु आउट फाल ड्रेन का निर्माण सम्बन्धित कार्यदायी विभाग के द्वारा ही कराया जायेगा और इस हेतु धनराशि की व्यवस्था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। आज दिनॉक 18.01.2011 को हुई राज्य स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, जिसमें समस्त मण्डलायुक्त व जिलाधिकारीगण भी उपस्थित थे, में पुनः इस बात पर बल दिया गया कि डा0 अम्बेडकर ग्रामों में जल निकासी हेतु आउट फाल ड्रेन का निर्माण सम्बन्धित कार्यदायी विभाग के द्वारा ही कराया जायेगा, क्योंकि इसमें नाली के ढाल सहित तकनीकी बिन्दु निहित हैं और उक्त नाली का संयोजन गांव के समग्र सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन नेटवर्क के साथ होना आवश्यक है। यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित जिलाधिकारीगण अविलम्ब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वांछित धनराशि की स्वीकृति सम्बन्धित प्रखण्ड को प्रदान कर दें।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तद्नुसार आप अपने जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर वांछित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर लें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आउट फाल ड्रेन सहित सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन निर्माण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना है।

भवदीय,

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 177(1)/62-3-2011 तद्दिनॉक।

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अवलोकनार्थ।
2. प्रतिलिपि निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (मेरठ, सहारनपुर, चित्रकूट धाम व गोरखपुर को छोड़कर) को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (मेरठ, सहारनपुर, चित्रकूट धाम व गोरखपुर मण्डल को छोड़कर) इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. प्रमुख सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

12.1.2011

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।